



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1359

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19414 वर्ष 2025

नितिन कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6

अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के लिए

:

अधिवक्ता

अवनीन्द्र कुमार, प्रेम शंकर शर्मा

प्रतिवादी (गण) के लिए

:

मुख्य स्थायी अधिवक्ता

अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीन्द्र कुमार ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की मांग की है, साथ ही इस संबंध में दिनांक 07.08.2025 और 18.08.2025 के आदेशों को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता वाले श्रम न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता की मांग की है।
2. श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)